

कार्यालय मुख्य

अग्निशमन अधिकारी
ईमेल-cfontl.ukfs@gmail.com,

नैनीताल (हल्द्वानी)

पत्रांक:- सी०एफ०ओ०-न-६(इ०) / २०२२

दिनांक-अप्रैल २३, २०२२

सेवा में

Owner/Manager,
ST LAWRENCE SR SEC SCHOOL,
DEVALCHAUR KHAM P. O. MANPUR WEST,
HALDWANI, DISTT-NAINTAL, UTTARAKHAND.

विषय- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं-८९२०३०६८ दिनांक-१३.०४.२०२२ के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक-१४.०४.२०२२ के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा ST LAWRENCE SR SEC SCHOOL, DEVALCHAUR KHAM P. O. MANPUR WEST, HALDWANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

१. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 20 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।
२. सरथान परिसर में १९ अदद १०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-०४ किग्रा क्षमता, ०२ अदद सीओ२० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-४.५ किग्रा क्षमता, ०१ अदद एफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ०९ ली० क्षमता एवं ०४ अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

१. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-०४ में निहित मानकों के अनुसार आतंरिकत अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
२. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
३. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
४. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्कर्षण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
५. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सेट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर वीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
६. प्रत्येक ०३ वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार १० रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड ००७० अन्य प्रशासनिक सेवाएं ६० अन्य सेवाये, १०९ अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसके द्वारा यह नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त रूमझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छ: माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
७. निंगत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक-न-/फा०स०/२०२१ के आधार पर ST LAWRENCE SR SEC SCHOOL, DEVALCHAUR KHAM P. O. MANPUR WEST, HALDWANI, को दिनांक-२३ अप्रैल २०२२ से २२ अप्रैल २०२५ तक अधिष्ठोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नवीनीकरण (हल्द्वानी) अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)